



2026:AHC:125808

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18765 वर्ष 2026

श्यामू उर्फ चुक्की

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : राहुल कुमार यादव, शिव राम दुबे

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव राम दुबे और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री बी.पी. सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका केस क्राइम नंबर 177/2024, धारा 103(1) बीएनएस, पुलिस स्टेशन नगर, जिला बस्ती में मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदक के विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है। आगे यह भी बताया गया है कि शुरू में मृतक की आकस्मिक मृत्यु की सूचना प्रथम सूचनादाता द्वारा पुलिस को दी गई थी, हालांकि, एक महीने बाद मृतक की बहन मालती देवी ने पुलिस के समक्ष धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयान में कहा कि उसे सद्दाम हुसैन नामक व्यक्ति ने बताया था कि उसने उस समय तीन व्यक्तियों को नशे की हालत में देखा था और उनमें से दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति पर किसी कठोर और कुंद वस्तु से हमला कर रहे थे। इसके अलावा यह भी निवेदन किया गया है कि गवाह सद्दाम हुसैन ने भी आवेदक का नाम नहीं लिया है। इसके

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक 19.9.2024 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की पहचान गवाह सद्दाम हुसैन द्वारा परीक्षण पहचान परेड (टी.आई.पी.) में की गई है।

5. जवाब में, आवेदक के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि गवाह सद्दाम हुसैन ने अपने बयान में कहा है कि उसने आवेदक को रात के अंधेरे में देखा था।

6. प्रारंभ में प्रथम सूचनादाता द्वारा पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि मृतक की वाहन से दुर्घटना हुई और उसकी मृत्यु हो गई, हालांकि, एक महीने बाद मालती देवी (मृतक की बहन) ने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि सद्दाम हुसैन ने उसे सूचित किया था कि उसने तीन व्यक्तियों को नशे की हालत में देखा था और दो व्यक्ति तीसरे व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। गवाह सद्दाम हुसैन ने आवेदक का नाम नहीं लिया है, हालांकि, विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि परीक्षण पहचान परेड में आवेदक की पहचान सद्दाम हुसैन नामक व्यक्ति द्वारा की गई है। गवाह सद्दाम हुसैन के बयान के अनुसार, उसने आवेदक को रात के अंधेरे में अपराध करते हुए देखा था। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, उसके शरीर पर नौ चोटें आई थीं, जिनमें से अधिकांश चोटें खरोंच, रगड़ और फटे हुए घाव थे, साथ ही एक हड्डी का फ्रैक्चर भी पाया गया था। मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले लगी चोटें बताई गई हैं। आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और आवेदक 19.9.2024 से जेल में बंद है।

7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** (2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 6765) मामले में इस

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

8. तदनुसार, यह आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त अपराध में अभियोक्ता **श्यामू उर्फ चुक्की** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा। आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन री: सुओ मोटू रिट पिटीशन (क्रिमिनल) नंबर 4 ऑफ 2021 दिनांक 31.01.2023 (2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित आदेश के अनुसार, कार्यालय को **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति 24 घंटे के भीतर भेजने का निर्देश दिया जाता है।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

5 जून, 2026

अभिषेक

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।